न्यायालय सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना
पीठासीन अधिकारी – हनुमानाराम आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :– 57/2023

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण
1. मानाराम पुत्र रामकिशन
2. कानाराम पुत्र रामकिशन
जाति विश्नोई, निवासी परावा तहसील चितलवाना

बनाम

प्रतिवादीगण
1. रामकिशन पुत्र धनजी जाति विश्नोई निवासी परावा तहसील चितलवाना
2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

दावा बाबत ईश्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act

उपस्थित :–
1– वादीगण की ओर से वकील श्री गोरधनराम विश्नोई।
2– प्रतिवादी रामकिशन स्वयं

निर्णय

दिनांक 07/02/2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी 01 संयुक्त परिवार से है। मौजा परावा पटवार हल्का परावा के खेत खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1286 रकबा 1.5950 हैक्टर, खसरा संख्या 1404 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 1434 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1435 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 1765/1042 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 2108/1042 रकबा 0.0850 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.5750 हैक्टर, खसरा संख्या 2110/1404 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा संख्या 2111/1436 रकबा 0.4800 हैक्टर जुमले रकबा 4.5050 हैक्टर की आराजी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे रामकिशन पुत्र धनजी के नाम से दर्ज सुदा वादीगण की पुश्तैनी आराजी आई हुई है। उपरोक्त खसरा वक्त प्रथम सेटलमेन्ट के समय से ही धनजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा आई हुई थी। स्व. धनजी के निर्वसीयति फौत होने पर उक्त आराजी अपने हिस्से अनुसार रामकिशन पुत्र धनजी के नाम राजस्व रेकर्ड में पुश्तैनी आराजी के रूप मे दर्ज की गई थी। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी व पैतृक आराजी आई हुई है। तथा खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 1479 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 1480 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा संख्या 1482 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 1483 रकबा 0.23 हैक्टर जुमले रकबा 1.4800 हैक्टर की आराजी राजस्व रेकर्ड मे रामकिशन पुत्र धना के नाम से दर्ज सुदा आई हुई है। उक्त आराजी हमारी पुश्तैनी आय से खरीद सुदा की आई हुई होने से उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी आई हुई है। जिसमे प्रत्येक वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा आया हुआ है। मौके पर वादीगण के हक एवं हिस्से में खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1286 रकबा 1.5950 हैक्टर, खसरा संख्या 1404 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 1434 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1435 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.5750 हैक्टर मे से 0.4550 हैक्टर, खसरा संख्या 2110/1404 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा संख्या 2111/1436 रकबा 0.4800 हैक्टर जुमले रकबा 3.9950 हैक्टर की आराजी आई हुई है। जिसमे वादीगण की रहवासीय ढाणीया बनी हुई है। तथा उक्त आराजी का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशनके हिस्से मे खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1765/1042 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 2108/1042 रकबा 0.0850 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.5750 हैक्टर मे से [illegible] हैक्टर एवं खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 1479 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 1480 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा संख्या 1482 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा संख्या 1483 रकबा 0.23 हैक्टर जुमले रकबा 1.4800 हैक्टर कुल रकबा 1.995 हैक्टर की आई हुई है। जिस पर मौके पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन [illegible] आया हुआ है। जिसमे उनकी रहवासीय ढाणी बनीहुई है उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग रामकिशन कर रहे है। उपरोक्त खसरा संख्या का पैतृक आराजी का पारिवारीक बंटवाड़ा कर अलग–अलग हिस्से कर अलग–अलग कब्जा काश्त सुपुर्द कर दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी के हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

की एवं बंट की आराजी मौके पर अलग कर कब्जा काश्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का संयुक्त रूप से चला आ रहा है जो बदस्तुर है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामकीशन की जायन्दा पुत्र है। मौजा परावा पटवार हल्का परावा मे स्थित खेता खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1286 रकबा 1.5950 हैक्टर, खसरा संख्या 1404 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 1434 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1435 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.0850 हैक्टर मे से रका 0.4550 हैक्टर, खसरा संख्या 2110/1404 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा संख्या 2111/1436 रकबा 0.4800 हैक्टर जुमले रकबा 3.9950 हैक्टर की आराजी वादीगण अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त की पुश्तैनी आराजी की खातेदारी की उदघोषणा करने के अधिकारी होने से डिक्री खातेदारी उदघोषणा की बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावे।

उक्त प्रकरण में दिनांक 28.07.2023 को वादीगण मानाराम पुत्र रामकिशन व कानाराम पुत्र रामकिशन एवं प्रतिवदी संख्या 1 रामकिशन पुत्र धनजी जाति विश्नोई निवासी परावा पटवार हल्का परावा ने राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा राजीमाना कर लिया है। वादीगण रामकिशन के पुत्रगण है तथा वाद पत्र मे लिखित अनुसार एवं जवाब दावे मे लिखित अनुसार हमारी खातेदारी की उदघोषणा किये जाने पर पक्षकार सहमत है। इसी अनुसार उक्त अनवान प्रकरण की पत्रावली का फैसला किया जाकर वादीगण की खातेदारी उदघोषणा किया जाना न्यायहीत मे आवश्यक है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण का प्रर्थना पत्र स्वीकार फरमााय जाकर वादीगण के पक्ष मे खातेदारी उदघोषणा वाद पत्र के अनुसार स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी की उदघोषणा किया जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली मे संलग्न राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन के वारिसदार होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आराजी पैतृक होने तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद मे राजीमाना हाने के कारण मौजा परावा पटवार हल्का परावा मे स्थित खेता खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1286 रकबा 1.5950 हैक्टर, खसरा संख्या 1404 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 1434 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1435 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.0850 हैक्टर मे से रका 0.4550 हैक्टर, खसरा संख्या 2110/1404 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा संख्या 2111/1436 रकबा 0.4800 हैक्टर की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा कर डिक्री जारी करना न्यायसंगत है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद मे राजीमाना होने के कारण मौजा परावा पटवार हल्का परावा मे स्थित खेता खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1286 रकबा 1.5950 हैक्टर, खसरा संख्या 1404 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 1434 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1435 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.5750 हैक्टर, खसरा संख्या 2110/1404 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा संख्या 2111/1436 रकबा 0.4800 हैक्टर की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा की जाती है।

डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफतर दाखील हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:41 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमानाराम)
सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

निर्णय आज दिनांक 07/02/2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, चितलवाना
सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code , Appendix MDN-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम चितलवाना

इजलास – हनुमाना राम आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादी
1 मानाराम पुत्र रामकिशन 2 कानाराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी परावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर	बनाम	1 रामकिशन पुत्र धनजी जाति विश्नोई निवासी परावा तहसील चितलवाना 2 सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या– 57/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री गोरधनराम विश्नोई मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं रामकिशन मनजानिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है किः– उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद मे राजीमाना हाने के कारण मौजा परावा पटवार हल्का परावा मे स्थित खेता खाता संख्या 324 के खसरा संख्या 1286 रकबा 1.5950 हैक्टर, खसरा संख्या 1404 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा संख्या 1434 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 1435 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 2109/1478 रकबा 0.5750 हैक्टर, खसरा संख्या 2110/1404 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा संख्या 2111/1436 रकबा 0.4800 हैक्टर की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा की जाती है।

मौजा परावा मुवलिंग–बाबत खर्चा इस मुकदमं के मय सूद व भरह–फीसदी–सालान आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा करे।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07/02/2024 को जारी की गई।

मोहर

(हनुमाना राम RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दयलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालातनामा	2	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अर्जी	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरिक					
मौजाना	4	00	मौजाना	2	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकैन चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:41 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

(हनुमाना राम RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)